रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234731
SG-DL-E-31032022-234731

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 591
No. 220]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944	[N. C. T. D. No. 591

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 30 मार्च, 2022

सं. फा.–19(06)/2019/वि.स.स./स्था0/3953–3959.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या–27/59–एच.आई.एम. (i) जे. के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विधानसभा सचिवालय में वाद–विवाद (डिबेट) सम्पादक के पद से संबंधित दिनांक 03 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या.एफ.19(7)/2002 एल.ए.एस.(स्था.)/19194, का अधिक्रमण करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयेाग के साथ परामर्श करने के पशचात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा विधान सभा सचिवालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में **वाद-विवाद** (डिबेट) सम्पादक के पद की भर्ती पद्धति एवं नियुक्ति हेतू अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओ के संबंध में इसके साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार नियमों में संशोधन करते हैं।

1. **संक्षिप्त भाीर्शक और प्रारंभ** : (i) इन नियमों को दिल्ली विधान सभा, सचिवालय ''**वाद-विवाद** (डिबेट) सम्पादक '' भर्ती नियमावली, 2022 के नाम से जाना जाएगा।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :– ऐसा कोई भी व्यक्ति,**

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	**वाद-विवाद** (डिबेट) सम्पादक	
2.	पदों की संख्या	01 (2022) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित समूह 'ख'	
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400/- रुपये)	
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं।	
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	लागू नहीं।	
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	**अनिवार्य** **योग्यता :** लागू नहीं।	**अनुभव :** लागू नहीं।
		वांछनीय **योग्यता:** लागू नहीं।	**अनुभव :** लागू नहीं।
		योग्यता मानक टिप्पणी: लागू नहीं।	**अनुभव मानक टिप्पणी :** लागू नहीं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	**आयु :** लागू नहीं **भौक्षिक योग्यता:** लागू नहीं।	
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	लागू नहीं।	
10	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	**तरीका:** प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पावधि संविदा सहित।	**प्रतिशत:** 100
11.	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ विलयन किया जाना है।	**प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित):** केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों/संवैधानिक संगठनों के अन्तर्गत अधिकारी ; **(क)** (i) मूल संवर्ग/ विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400/-रू) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित, अथवा उसके समकक्ष ; और	

		(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले । **अनिवार्य योग्यता:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय में स्नातक स्तर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में स्नातकोत्तर की उपाधि। **अथवा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय में स्नातक स्तर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि। **अनुभव :** सम्पादन का दो वर्ष का अनुभव केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/संवैधानिक संगठन के अन्तर्गत अधिकारी **वांछनीय** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा । (ii) प्रकाशन क्षेत्र अथवा विधायी कार्य का दो वर्ष का अनुभव । **टीप**: उसी अथवा किसी अन्य संगठन/केन्द्र सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य एक्स कैडर पद की प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदनों के प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **मानक टीप**: लागू नहीं।	
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	विभागीय **पदोन्नति** समिति 1 लागू नहीं : (अध्यक्ष) 2 लागू नहीं : (सदस्य) 3 लागू नहीं : (सदस्य) 4 लागू नहीं : (सदस्य) 5 लागू नहीं : (सदस्य)	विभागीय **पुष्टीकरण** समिति 1 लागू नहीं : (अध्यक्ष) 2 लागू नहीं : (सदस्य) 3 लागू नहीं : (सदस्य) 4 लागू नहीं : (सदस्य) 5 लागू नहीं : (सदस्य)
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	इस पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श जरूरी नहीं।	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
मुकेश **सी. शर्मा** उप सचिव (प्रशासन)/कार्यालय प्रमुख

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETATRIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th March, 2022

F. 19(06)/2019/LAS/Estt./3953-3959.—In exercise of the powers conferred by the (proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.27/59-Him(i)J dated the 13th July, 1959, and in supersession of notification No.F.19(7)/2002-LAS(Estt.) 19194 dated 3rd December, 2002, notified by the Delhi Legislative Assembly Secretariat, National Capital Territory of Delhi regarding Recruitment Rules for the post of Editor of Debates), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the amendments to the rules in the Schedule annexed hereto, regarding the method of recruitment and qualifications necessary for

appointment to the post of Editor of Debates in the Delhi Legislative Assembly Secretariat, National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement**:- (i) These rules may be called the 'Editor of Debates' Recruitment Rules, 2022.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, its classification and level of pay matrix**:- The number of said post, its classification and level of the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc:-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications:**- No person;

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing, so exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**:- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the post	Editor of Debates.	
2.	Number of posts	01 (2022) * Subject to variation dependent on workload.	
3.	Classification	General Civil Service, Non-Ministerial, Gazetted Group "B"	
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Pay Level-7 in the Pay Matrix (Rs. 44900-142400/-).	
5.	Whether selection post or Non-selection post	Not applicable.	
6.	Age limit for direct recruitment.	Not Applicable	
7.	Educational and other qualification required for direct recruits.	**<u>Essential</u>** Qualification: Not Applicable	Experience: Not Applicable
		<u>Desirable</u> Qualification: Not Applicable	Experience: Not Applicable
		Qualification Standard Note: Not Applicable	Experience Standard Note: Not Applicable
8.	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.	Age: Not Applicable. Edu. Qual: Not Applicable.	
9.	Period of probation, if any	Not Applicable	
10.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by Deputation/Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods;	Method	Percentage
		Deputation including Short Term Contact	100
11.	In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption grades from which	**Deputation (ISTC)** Officer of the Central Government/State Government/Union Territories/Recognized Research Institutions/ Universities/ Public Sector	

	promotion/ Deputation/ Absorption to be made.	Undertakings/Statutory or Autonomous Organizations. **(a)(i)** Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department. Or **(ii)** With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Level 6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department, and **(b)** Possessing the following Educational Qualifications and experience :- Essential Qualification:- Master Degree in Hindi with English as a compulsory or an elective subject at Degree level from a recognized university/Institute, OR Master Degree in English with Hindi as a compulsory or an elective subject at Degree level from a recognized university/Institute. Experience:- Two years experience of Editing in Central Government/ State Government/Union Territories/Recognized Research Institutions/Universities/Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous Organizations. **Desirable Qualification:** (i) Diploma in Journalism from a recognized University/Institute. (ii) Two years experience in the field of Publication or Legislative work. **Note :** Period of Deputation including period of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 03 years. The maximum age limit for appointment by Deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Standard Note:-** Not Applicable.	
12.	If a DPC exist what is its composition.	Departmental Promotion Committee 1. NA (Chairman) 2. NA (Member) 3. NA (Member) 4. NA (Member) 5. NA (Member)	Departmental Confirmation Committee 1. NA (Chairman) 2. NA (Member) 3. NA (Member) 4. NA (Member) 5. NA (Member)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Consultation with the Commission is not necessary for filling up the post.	

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

MUKESH C. SHARMA, Dy. Secy.(ADMN.)/HOO

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.31 23:40:45 +05'30'